विज्ञप्ति दिनांक 06.08.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम की कार्रवाईए नंदिनी रोड पर अवैध रूप से सड़क घेरकर रखी रेत जब्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार शहर में सड़क बाधित कर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण एवं नियम विरुद्ध व्यापार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जोन क्रमांक.3 मदर टेरेसा नगर के राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नंदिनी रोड स्थित सीमेंट दुकान पर कार्रवाई की।

निगम को प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच की गई, जिसमें दुकान संचालक द्वारा सड़क पर अवैध रूप से रेत रखकर यातायात में बाधा उत्पन्न करते हुए व्यापार किए जाने की पुष्टि हुई। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने सड़क पर रखी रेत को जब्त कर हटाने की कार्रवाई की तथा संबंधित संचालक को भविष्य में सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण सामग्री रखकर अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों एवं मार्गों पर निर्माण सामग्रीए रेतए गिट्टी या अन्य सामान रखकर आवागमन बाधित करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण न करें और शहर की यातायात व्यवस्था एवं स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।

संलग्न.फोटो जनसम्पर्क अधिकारी